

मूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) रायपुरिया

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी R.A.S.

उनका नाम

अर्जेंट के नाम

बनाम

राज. स. शा.

आपका वादत नाम दुखुस्ती U/c SRTA

सूचना नम्बर :- 100/2021


निगल दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से स्वयं को व प्रतिवादी की ओर से फरोकर राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17/11/21 को श्री राहुल सैनी R.A.S. (नाम पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अस्तित्व निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि - दामास्त

कि प्राजा का कृषि भूमि खाला संगाय रेडी ग्राम रायपुरिया में अमित खाते का नाम इन्दु के व पुत्री ओपाल सिंह के ध्यान पर अर्जेंट के व पुत्री ओपाल सिंह दुखुस्ती के का अर्जेंट दिया जाता है तदनुसार चक्र अन्तर्गत राज स. शा. रिवाइ में अमल दामुद को

खर्चा पक्ष कारण उभारना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय को मुद्रा लगाकर ही है।


(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. अर्जेंट के लिए स्टाम्प		फ्लोडर की फीस	
4. ... रुपये पर फ्लोडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

